संख्या-04/2018/1786/29-6-2018-300सा0//03टीसी

प्रेषक,

निवेदिता शुक्ला वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 30 जुलाई,2018

विषय:-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बे समय से रिक्त चल रही उचित दर दुकानों का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की उचित दर दुकानों के आवंटन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-2715/29-6-2002-162सा/2001, दिनांक 17-08-2002 के प्रस्तर-11 में व्यवस्था है कि 'ग्रामीण क्षेत्र में जहॉ ग्रामसभा प्रस्ताव नहीं पारित करती है अथवा जहॉ-जहॉ प्रस्ताव में विवाद उत्पन्न हो जाता है, जनहित में ऐसे ग्रामसभा के लिए जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर दुकान के आवंटन का निर्देश दे सकते हैं, लेकिन उक्त व्यवस्था के अनुसार रिक्त उचित दर दुकानों का आवंटन समयबद्ध रूप से नहीं हो पा रहा है।

2- अत: उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त शासनादेश दिनांक 17-08-2002 के प्रस्तर-11 में उल्लिखित व्यवस्था के साथ निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जाय :-

1- सर्वप्रथम ऐसी ग्रामसभाओं जहॉ, प्रस्ताव में विवाद है अथवा दुकान की नियुक्ति विवाद के कारण नहीं हो पा रही है, उनकी सूची बनाकर उप जिलाधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय के प्रमाण पत्र सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2- रिक्त ग्राम पंचायतों की विकास खण्डवार प्राविधानित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार एक सूची तैयार की जायेगी।

3- प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त दुकानों का आरक्षण व्यवस्था के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे :-

(1) सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची बनाकर उनमें अर्ह आवेदन पत्रों को छॉटकर उनकी अलग सूची तैयार की जायेगी।

(2) चयन समिति की बैठक की तिथि निर्धारित कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा एवं अर्ह आवेदकों को सूचित कर प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखी जायेगी।

(3) बैठक में उप जिलाधिकारी (चयन समिति का अध्यक्ष) के समक्ष लाटरी निकाली जाये, जिसमें अर्ह आवेदक भी उपस्थित हों। यदि कोई आवेदक उपस्थित न हो, तो उसे सूचित करने की रसीद प्रस्तुत कर उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाही की जायेगी।

(4) लाटरी निकालने हेतु किसी तटस्थ व्यक्ति को चुना जायेगा।

(5) पूरी कार्यवाही की रिकार्डिंग करायी जायेगी और कार्यवृत्त जारी किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- कृपया तदनुसार शासनादेश दिनांक 17-08-2002 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

भवदीया,

निवेदिता शुक्ला वर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या-04/2018/1786/(1)/29-6-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
3- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,उ0प्र0।
4- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य),उ0प्र0।
5- समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी,उ0प्र0।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अशोक कुमार मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।